

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 610 /2022.लखनऊ:दि0::अप्रैल, 21 ,2022

--:संशोधित आदेश :-

सदस्य पीठ-अलीगढ़ ने अपने पत्र सं0-123/22 दिनांक 20.04.2022 द्वारा निवेदन किया है कि वे दिनांक 02.05.2022 से 05.05.2022 तक आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे इसलिए मुख्यालय के आदेशांक-519/2022 दिनांक 07.04.2022 द्वारा उन्हें आगरा में गठित युगल पीठ दिनांक 04.05.2022 से 05.05.2022 से मुक्त किया जाए।

सदस्य पीठ-1 मेरठ ने अपने पत्र सं0-124/22 दिनांक 19.04.2022 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 09.05.2022 से 10.05.2022 तक मेरठ में युगल पीठ गठित की गई है तथा 10.05.2022 को मेरठ जनपद में कान्ति दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसलिए उस तिथि के स्थान पर अन्य तिथि नियत की जाए।

सदस्य पीठ-2 नोएडा ने अपने पत्र सं0-101/22 दिनांक 13.04.2022 द्वारा सूचित किया है कि उन्हें सपरिवार दिनांक 21.05.2022 से 26.05.2022 तक आवश्यक कार्य से शिलांग जाना है तथा दिनांक 25.05.2022 से 27.05.2022 तक गाजियाबाद में गठित युगल पीठ में से विरत रखने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय के आदेशांक-519/2022 दिनांक 07.04.2022 द्वारा परिचालित युगल पीठ कार्यक्रम में निम्न संशोधन किया जाता है।

क्रम सं0	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1.	पीठ-1 आगरा	पीठ-1,2,आगरा	दिनांक 04.05.22 से 05.05.22 तक	पीठ-1 मेरठ पीठ-2 आगरा	न्यायिक विभागीय
2.	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1,2,मेरठ	दिनांक 09.05.22 से 11.05.22 तक	पीठ-1 मेरठ पीठ-2 मेरठ	न्यायिक विभागीय
3.	पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1,2,गाजियाबाद	दिनांक 25.05.22 से 27.05.22 तक	पीठ-1 नोएडा पीठ-2 गाजियाबाद	न्यायिक विभागीय

शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

ह0 / 21.04.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 610 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2 आगरा, पीठ-1/2 मेरठ, पीठ-1/2 गाजियाबाद, पीठ-1 नोएडा।
2. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।